

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बायतु

मेगाराम वगैरा

बनाम

ग्राम पंचायत हीरा की ढाणी वगैरा

किस्म मुकदमा 75 राजस्थान भू अधिनियम 1956 नम्बर... 05/17... सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
31.03.17	<p>अपीलांट की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण/अपीलांटगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रैकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। राजस्व रैकर्ड के अनुसार अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 2 से 10 की भूमि मूल ग्राम हीरा की ढाणी के खसरा नम्बर 5 रकबा 95.02 बीघा, खसरा नम्बर 129 रकबा 05.10 बीघा, खसरा नम्बर 133 रकबा 239.02 बीघा, खसरा नम्बर 141 रकबा 125.01 बीघा, खसरा नम्बर 171 रकबा 312.08 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 88 उत्तरदातागण संख्या 2 से 9 ने अपनी मनमर्जी अनुसार बंटवाड़ा कर, नामान्तरण पास करवा दिया गया और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी।</p> <p>वकील अपीलांटगण की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण्य क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला अपीलांटगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः उत्तरदातागण को आगामी पेशी तारीख 17.05.2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी वर्तमान मौजा हीरा की ढाणी के खसरा नम्बर 129, 133, 406/129, 414/133, 171, 426/171 व 415/133 रकबा क्रमशः 02.15, 109.06, 02.15, 119.11, 156.04, 153.04 व 03.10 बीघा व मौजा सियोलों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 54/5 व 55/5 रकबा क्रमशः 47.11 बीघा, 47.11 बीघा तथा मौजा सउओं का वास के खसरा नम्बर 159/141, 160/141 रकबा क्रमशः 62.10 बीघा, 62.11 बीघा पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा की भूमि में अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में उत्तरदातागण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि करें। मौके व राजस्व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब हेतु दिनांक 17.05.2017को पेश हों।</p>	

सहायक कलक्टर (SDO)

बायतु

17/05/18

अपीलान्ट संख्या- 1 व अपीलान्ट के वकील
उपस्थित/ सचिव पीठापीन अधिकाारी न्याय आदेश
द्वारा अभिप्राय- 2017 केम्पों के दायर होने से
मिसाल इल्लवा दोहरा न्यायाधीश दिनांक 08/08/17
को पेश हो तबतक न्यायाधीश आदेश सूबे कोर्ट के आदेशानुसार
समाप्त रहेगा। @



08/08/17

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय
सहाकारान उपस्थित। पीठापीन अधि.
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इल्लवा होकर दिनांक 13/12/17 को
पेश हों। @

13/12/17

अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित। उलटालागणों
के नोटिस लामिल क्रम लामिल अपीलान्ट/ इल्लवा
दोहरा पत्रावली दिनांक 14/02/18 को पेश हो तबतक
न्यायाधीश आदेश सूबे कोर्ट के आदेशानुसार
समाप्त रहेगा। @

14/02/18

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय
सहाकारान उपस्थित। पीठापीन अधि.
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इल्लवा होकर दिनांक 13/06/18 को
पेश हों। @

13/06/18

पत्रावली आज न्याय आदेश द्वारा अभिप्राय- 2018
केम्पों कोर्ट कायम पंचायत दोहरा की शर्तों के रखी
गई, अपीलान्ट संख्या 1 से 3 केम्पों उपस्थित (अपी-
लान्ट संख्या 1 से 3 द्वारा बताया की हम अपीलान्ट
के उलटालागणों के बिच आपस में समझौता हो गया है
हम उक्त अपील आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा
विड्रोवल करना चाहते हैं कल: अपीलान्ट गणों द्वारा
अपील विड्रोवल करने पर अपीलान्ट की अपील जरूरी
विड्रोवल ध्यानीय की जाती है। पत्रावली जैसल बुधवार
को दर्ज नम्बर से हम हो, दायर कर रहे हैं।

विड्रोवल

क. नि.
मेडाराम

क. नि.
मेडाराम

क. नि.
मेडाराम

13/06/18